

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 15-9-15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल,
म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निग0 3037-एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक
3-12-14 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक
400/अ-21/2013-14.

श्रीमती ताराबाई तेकाम पत्नि श्री भदई तेकाम
निवासी मकान नं. 2264 रानी दुर्गावती वार्ड गढ़ा,
तहसील व जिला जबलपुर

----- आवेदिका

विरुद्ध

- 1- दिवाकर नाथ तिवारी पिता श्री चन्द्रभान तिवारी
निवासी इन्द्रानगर गुप्तेश्वर, जबलपुर
- 2- म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

----- अनावेदकगण



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3037-एक/15

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पत्रकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
15-9-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 400/अ-21/013-14 में पारित आदेश दिनांक 3-12-14 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं आवेदिका की ओर से प्रस्तुत की गई अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह प्रकरण आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदिका द्वारा ग्राम चंदेरी प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 295, 337, 354, 388 रकबा क्रमशः 0.530, 1.000, 0.150, 0.170 हेक्टर तथा ग्राम मरहापाठा प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 150/1, 150/2, 238/2, 35/2 रकबा क्रमशः 0.140, 0.140, 0.190 एवं 0.080 कुल रकबा 2.700 हेक्टर के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है अपीलार्थी द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा कय की गई है। कलेक्टर ने मुख्य रूप से अपीलार्थी को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि ग्राम चंदेरी की भूमियों पर खसरे के कैफियत के कॉलम नं. 12 में आवेदिका के नाम की प्रविष्टि 3/7/14 को अंकित है तथा ग्राम मरहापाठा की भूमियों पर आवेदिका के</p>	



स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>नाम की प्रविष्टि संशोधित किए जाने के आदेश दिनांक 26-3-13 एवं 28-5-13 को दिए गए हैं। इसके बाद माह अगस्त-14 में आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का अनुबंध किया गया है, इस कारण अंतरण संदेहास्पद है और अपीलार्थी के हितों के विरुद्ध है। कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि कय किये जाने अथवा अभिलेख में नाम दर्ज होने के एक वर्ष बाद उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि या अपीलार्थी को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से अपीलार्थी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने अपीलार्थी को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-12-14 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार की जाती है साथ ही आवेदिका को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम चंदेरी प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 295, 337, 354, 388 रकबा क्रमशः 0.530, 1.000, 0.150, 0.170 हेक्टर तथा ग्राम मरहापाठा प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 150/1, 150/2, 238/2, 35/2 रकबा क्रमशः 0.140, 0.140, 0.190 एवं 0.080 कुल रकबा 2.700 हेक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो। 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी। 3- केता द्वारा विक्रयपत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विक्रेता (अपीलार्थी) के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रहनाधीन भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा। 	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, खालियर

प्रकरण क्रमांक निगम 3037-एक/15

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	सर्ववाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।</p> <p>उभयपक्ष सूचित हों ।</p>	 सदस्य